

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अजमेर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था-1 ए/3बी/2017 दिनांक:-25.05.2017 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक:-31.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-1, का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-1 पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैंप में दिनांक:-04.06.2017 को उपस्थित होकर इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

- संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :
1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन परचात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे।
 2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
 3. प्रबंधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
 4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

लेवल-1 के पद पर समायोजन सूची

क्र. संख्या	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	ब्लॉक का नाम	लेवल-1/लेवल-1	अध्यापन विषय	समायोजित विद्यालय का नाम राउमावि/ मावि	ब्लॉक का नाम
1	MANJU LAKHOTIYA	G.HR.SEC.SCH SILORA	KISHANGA RH	L-1	-	राउमावि किशनगढ़	किशनगढ़
2	GANGA KRIPANI	G.G.HR.SEC.SCH DIGGI MOHALLA BEAWAR	JAWAJA	L-1	-	रामावि फतहपुरिया दोगम् ब्यावर	जवाजा

-50
(कैलाश चन्द्र झंवर)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अजमेर
दिनांक : 04.06.2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/जय/संस्था-1/फा.-3बी समायोजन/2017/6085
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वितीय, अजमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अजमेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अजमेर कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था-1 ए/3वी/2017 दिनांक:-25.05.2017 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक:-31.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-2 (हिन्दी) का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-2 (हिन्दी) पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैंम्प में दिनांक:-04.06.2017 को उपस्थित होकर इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें

01. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
02. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावें तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
03. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत घयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
04. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

अध्यापक लेवल-11 हिन्दी के पद पर समायोजन

क्र. संख्या	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	ब्लॉक का नाम	लेवल-11	अध्यापन विषय	समायोजित विद्यालय का नाम राउमावि/मावि	ब्लॉक का नाम
1	ANJALI RATHOR	G.SEC.SCH KANAS	PEESANGAN	L-2	Hindi	राउमावि पुलिस लाईन,अजमेर	अजमेर

- 50 -
(कैलाश चन्द्र झंवर)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अजमेर
दिनांक : 04.06.2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/जय/संस्था-1/फा.-3वी समायोजन/2017/6086
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वितीय, अजमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा,अजमेर/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
8. बरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अजमेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अजमेर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था-1 ए/3बी/2017 दिनांक:-25.05.2017 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक:-31.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन शृंखला अध्यापक लेवल-2 (विज्ञान) का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत तृतीय वेतन शृंखला अध्यापक लेवल-2 (विज्ञान) पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैंम्प में दिनांक:-04.06.2017 को उपस्थित होकर इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें

01. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवे।
02. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
03. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
04. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

अध्यापक लेवल-2 विज्ञान के पद पर समायोजन सूची

क्र. संख्या	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	ब्लॉक का नाम	लेवल-1/लेवल-2	अध्यापन विषय	समायोजित विद्यालय का नाम राउमावि/मावि	ब्लॉक का नाम
1	ANUPAMA DOSAYA	G.HR.SEC.SCH SILORA	KISHANGARH	L-2	science	राबाउमावि किशनगढ	किशनगढ

-5d-
(कैलाश चन्द्र झंवर)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अजमेर
दिनांक : 04.06.2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/जय/संस्था-1/फा.-3बी समायोजन/2017/6087
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
04. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
05. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वितीय, अजमेर।
06. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
07. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
08. परिष्कृता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अजमेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अजमेर कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था-1 ए/3बी/2017 दिनांक:-25.05.2017 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक:-31.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-2 (संस्कृत) का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-2 (संस्कृत) पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैंम्प में दिनांक:-04.06.2017 को उपस्थित होकर इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें

01. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
02. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
03. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
04. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

अध्यापक लेवल-II संस्कृत के पद पर समायोजन सूची

क्र. संख्या	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	ब्लॉक का नाम	लेवल-II	अध्यापन विषय	समायोजित विद्यालय का नाम राउमावि/मावि	ब्लॉक का नाम
1	NEELAM SHARMA	G.G.HR.SEC.SCH DIGGI MOHALLA BEAWAR	JAWAJA	L-2	Sanskrit	रामावि फतहपुरिया दोंयम,ब्यावर	जवाजा
2	MADHU MISHRA	G.SR.HR.SEC.SCH MASUDA	MASUDA	L-2	Sanskrit	राबामावि खरवा	मसूदा

- 58 -
(कैलाश चन्द्र झंवर)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अजमेर
दिनांक :04.06.2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/जय/संस्था-1/फा.-3बी समायोजन/2017/6088
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
04. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
05. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वितीय, अजमेर।
06. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
07. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
08. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रायली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अजमेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अजमेर कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था-1 ए/3बी/2017 दिनांक:-25.05.2017 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक:-31.05.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-2 (सामाजिक ज्ञान) का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक लेवल-2 (सामाजिक ज्ञान) पद पर समायोजन/पदस्थापन हेतु आयोजित परामर्श कैंप में दिनांक:-04.06.2017 को उपस्थित होकर इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है। इनका माह जून, 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें

01. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
02. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
03. प्रबोधक, पैराटीचर, शिक्षाकर्मी तथा पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
04. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

- 5d -
(कैलाश चन्द्र झंवर)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अजमेर
दिनांक : 04.06.2017

क्रमांक: जिशिअ/मा/जय/संस्था-1/फा.-3बी समायोजन/2017/6089
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
04. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
05. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वितीय, अजमेर।
06. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
07. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
08. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अजमेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अजमेर

क्रमांक:-जिशाअ/माप्र/अज/संस्था-1/फा-3बी समायोजन/2017/6089 दिनांक:-04.06.2017

अध्यापक लेवल-II की पद पर समायोजन सूची

क्र. संख्या	नाम अध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	ब्लॉक का नाम	लेवल-1 / लेवल-II	अध्यापन विषय	समायोजित विद्यालय का नाम राउमावि/ मावि	ब्लॉक का नाम
1	VIMLA RAWAT	G.SEC.SCH KANAS	PEESANGAN	L-2	Social Studies	रा.सावित्री उमावि,अजमेर	अजमेर
2	ALKA MALKAR	G.SR.HR.SEC.SCH MASUDA	MASUDA	L-2	Social Studies	राउमावि भगवानगंज,अजमेर	अजमेर
3	SADHANA MATHUR	G.HR.SEC.SCH UNTRA	SRI NAGAR	L-2	Social Studies	राबामावि लोहाखान,अजमेर	अजमेर
4	KIRAN SHARMA	G.G.HR.SEC.SCH DIGGI MOHALLA BEAWAR	JAWAJA	L-2	Social Studies	राबाउमावि शाहपुरा मौहला, ब्यावर	जवाजा
5	SASHIBALA KUMAWAT	G.HR.SEC.SCH SILORA	KISHANGARH	L-2	Social Studies	रामावि फरासिया,किशनगढ	किशनगढ
6	SATAY DEV GUJAR	G.SEC.SCH GAWADIYA	MASUDA	L-2	Social Studies	राबामावि खरवा	मसूदा
7	AMIT SHARMA	G.SEC.SCH KANAS	PEESANGAN	L-2	Social Studies	राउमावि पुलिस लाईन,अजमेर	अजमेर


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अजमेर